न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

GCMS NO. - 2016/00043
मिसल नम्बर– 47 / 2016

1. पुष्पा बाई पत्नी स्व0 भंवरलाल पुत्र स्व0 चतरा उम्र 62 वर्ष
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 चतरा उम्र 65 वर्ष
3. पूरणमल पुत्र स्व0 चतरा उम्र 54 वर्ष
4. घीसी बाई पुत्री स्व चतरा उम्र 68 वर्ष

जाति लश्करी मेघवंशी (चमार) निवासी गण ग्राम सोगरिया तह0 लाडपुरा जिला कोटा जरिये मुख्तार अतीक खान पुत्र अकबर हुसैन जाति मुसलमान निवासी लालकोठी के पास, रंगपुर रोड कोटा जंक्शन कोटा

.....वादीगण

बनाम

1 प्रभूलाल पुत्र फूंदीलाल जाति माली
2 बिरधीलाल पुत्र शंकरलाल जाति माली
3 गोपाल पुत्र शंकरलाल माली

निवासीगण पंचायत कार्यालय के पास, ग्राम अर्जुनपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा

..... प्रतिवादीगण

–: निर्णय :–

दिनांक 23/3/26

उपस्थितः–
1.श्री अशोक कुमार गुप्ता अभिभाषक वादीगण
2.श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–183–92ए व 188 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1956

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार हैः–

प्रार्थीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88–183–92ए व 188 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1956 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि :–

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वादीगण ग्राम सोगरिया तहसील लाड़पुरा जिला कोटा के निवासी हैं जाति से लश्करी मेघवंशी (चमार) है, जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।

वादीगण के ससुर व पिता चतरा पुत्र पन्ना जाति लश्करी मेघवंशी (चमार) की कृषि आराजी वाके ग्राम रंगतालाब तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में स्थित है। जिसका खाता संख्या 89 नया पुराना 93 खसरा नम्बर 179 रकबा 8 बीघा स्थित है। जिसके चतरा पुत्र पन्ना खातेदार टेनेन्ट चले आ रहे थे। जिसके राजस्व रिकॉर्ड में चतरा की जाति लश्करी मेघवंशी संवत 2016 से 2024 में दर्ज चली आ रही थी।

वादीगण एवं चतरा वल्द पन्ना एक अनपढ व अनुसूचित जाति का सदस्य था व कानूनी प्रक्रिया आदि के बारे में पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था। प्रतिवादी नम्बर–1 फूंदीलाल का पुत्र है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 तथा प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता फूंदीलाल जाति से माली हैं। यानि प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 की जाति माली है। जो कि अनुसूचित जाति में नही आती है।

उपरोक्त वर्णित आराजी का सेटलमेंट के पश्चात नये नम्बर कायम होकर अलग अलग खाते दर्ज हो गई। जिसमें खाता संख्या नया 157 पुराना 143 खसरा नम्बर 258 रकबा 0.35 हेक्टेयर जो वर्तमान मे प्रतिवादी नम्बर 1 प्रभूलाल के नाम दर्ज है। एवं खाता संख्या नया 180 पुराना 162 खसरा नम्बर 258/634 रकबा 0.60 हैक्टेयर जो कि प्रतिवादी नम्बर 2 बिरधीलाल के नाम खाते दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या नया 72 पुराना 65 खसरा नम्बर 258/635 रकबा 0.31 हैक्टेयर प्रतिवादी नम्बर 3 गोपाल के नाम दर्ज है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति के सदस्य की कृषि आराजी विक्रय, दान, वसीयत प्रतिबंध है एवं ऐसा विक्रय उक्त अधिनियम के अनुसार शून्य है, एव शून्य विक्रय के आधार पर किसी भी क्रेता कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है।

वादीगण व उनके ससुर व पिता चतरा पुत्र पन्ना जो कि एक अनपढ अनुसूचित जाति का काश्तकार था उसे गुमराह कर विधि विरूद्ध तरीके से परिवार के सदस्यों को भी गुमराह करके प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता फूंदीलाल व प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 ने आपस में मिलिभगत व षडयंत्र करके उपरोक्त मद में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 179 रकबा 8 बीघा ग्राम रंगतालाब तहसील लाड़पुरा जिला कोटा का दिनांक 13.05.1982 को अपने पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में जाति लश्करी मेघवंशी होते हुये भी और यह जानते हुये कि लश्करी मेघवंशी अनुसूचित जाति के सदस्य है एवं

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उनकी आराजी किसी अन्य जाति के सदस्यों को विक्रय नही की जा सकती उनके द्वारा विक्रय पत्र पंजियन करवा लिया एवं तत्पश्चात राजस्व रिकोर्ड में भी प्रतिवादी नम्बर 4 से मिलिभगत कर अपने नाम इंतकाल खुलवाकर खुलवा लिया जो वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 के खाते में उपरोक्त नये नम्बर के आधार पर पृथक पृथक उपरोक्त मद में वर्णित नये नम्बर के आधार पर पृथक पृथक खातो में दर्ज करवा ली।

प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 ने उपरोक्त अवैध विक्रय को छुपाने के लिए प्रतिवादी नम्बर 4 के राजस्व कर्मचारियों से मिलिभगत करके संवत् 2038 से 2057 का मिलान क्षेत्रफल एवं संवत 2035 से 2038 तक गोपाल बिरधीलाल, फूंदीलाल की जमाबंदी आदि का रिकॉर्ड राजस्व विभाग के रिकॉर्ड कर्मचारियों से मिलिभगत कर उक्त रिकोर्ड को भी नष्ट खुर्द–बुर्द करवा दिया जिसके बाबत दिनांक 16.02.2016 को नकल आवेदन पेश किया गया। जिस पर कार्यालय जिला कलेक्टर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ने यह नोट अंकित किया कि उपरोक्त रिकॉर्ड दर्ज व उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 ने आपस में षडयंत्र करके व प्रतिवादी नम्बर 4 व राजस्व कर्मचारियों से मिलकर इस तथ्य को छिपाने के लिए कि जो दिनांक 13.05.1982 को अवैध रूप से जो विक्रय पत्र पंजियन कराया गया है एवं इसके आधार पर इंतकाल खोला गया है एवं पुराने खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर जो उपरोक्त वर्णित है इन समस्त रिकोर्ड की जानकारी न हो सके एवं इसी उद्देश्य से उनके द्वारा राजस्व रिकोर्ड के साथ छेड़छाड कर उसे खुर्द–बुर्द करा दिया।

वादीगण चतरा के वारिसान होने से उपरोक्त आराजी के मालिक है। दिनांक 13.05.1982 का विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 से प्रतिबंधित है एवं ऐसा विक्रय विधि के अनुसार शून्य विक्रय है एवं शून्य दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादीगण को कोई अधिकार उत्पन्न नही होता है।

वादीगण उपरोक्त कारणों से उक्त आराजी के खातेदार टिनेन्ट घोषित कराने के आधिकारी है तथा उक्त आराजी का वापस प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 से कब्जा प्राप्त करने तथा राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादी नम्बर 3 का नाम हटाकर वादीगण अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारी हैं चूंकि वर्तमान उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण काबिज है इसलिए उक्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त कराने एवं उन्हें निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है कि वह उक्त आराजी को कही रहन बैय हिबा वसीयत दान आदि नही करें।

चूंकि वादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है व अनपढ है उन्हें पूर्व विक्रय की कोई जानकारी नही थी उनके द्वारा कई बार रिकोर्ड ढूढने का प्रयास किया गया

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जो उपलध नही हो सका एवं रिकोर्ड भी नष्ट कर दिया गया इसलिए वादीगण के पास यह वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प मौजूद नही है।

वादीगण ने दिनांक 08.03.2016 को भी नोटिस प्रेषित किया लेकिन उसके पश्चात भी उन्होने वादीगण को कब्जा नहीं दिया तथा विक्रय करने की धमकी दी।

वाद में प्रतिवादी नम्बर 4 को सरकार को पक्षकार बनाया गया है जिसे नियमानुसार दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादीगण का वाद अत्यधिक अर्जेन्ट नेचर का है इसलिए धारा 80 (2) सीपीसी का नोटिस दिया जाना संभव नही है इसलिए वादीगण को नोटिस अवधि से छूट प्रदान करते हुये वाद स्वीकार किया जाना आवश्यक है।

वाद कारण शून्य विक्रय के आधार पर प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार मिलने व जमीन पर अवैध कब्जा करने व दिनांक 08.03.2016 को नोटिस देने तत्पश्चात भी वादीगण को कब्जा नही देने पर उत्पन्न हुआ है।

रिसीवर हेतु पृथक से धारा 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

निष्कर्षतः प्रार्थीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि– वादीगण को वाद पत्र की मद नम्बर 04 में वर्णित आराजी का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण का नाम दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावे, तथा प्रतिवादीगण से वादीगण को कब्जा दिलवाया जावे, प्रतिवादीगण को इस आशय की निषेधाज्ञा से भी पाबंद किया जावे कि वह दौराने वाद उक्त आराजी को किसी प्रकार से रहन, बैय, हिबा, खुर्द–बुर्द आदि नहीं करे। वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाई जावे।

प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 3 द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवम धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बाबत नामन्जूर (Reject) किये जाने दावा वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि–

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध हक घोषणा खातेदारी, बेदखली आराजी एवम स्थायी निषेधाज्ञा का दावा सन् 2016 में सम्माननीय न्यायालय में इन तथ्यो के साथ प्रस्तुत किया वादीगण जाति से लश्करी मेघवंशी चमार है एवम अनुसूचित जाति के सदस्य है। वादी नम्बर–1 के ससुर चतरा पुत्र पन्नालाल जी के खाते में ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब में खसरा नम्बर–179 की 8 बीघा भूमि स्थित है। प्रतिवादी नम्बर–1 फूंदीलाल उसका पुत्र है तथा प्रतिवादी नम्बर–2 व 3 प्रतिवादी नम्बर–1 के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

पिता के भाई है। उपरोक्त आराजी के सेटलमेन्ट में नये खसरा नम्बर–258 रकबा 0.35 हैक्टयर जो वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर–1 के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर–258/634 रकबा 0.60 हैक्टयर प्रतिवादी नम्बर–2 बिरधीलाल के खाते में तथा खसरा नम्बर–258/635 की 0.31 हैक्टयर प्रतिवादी नम्बर–3 गोपाल के नाम दर्ज है।

वादीगण का वाद में कथन है कि वादीगण उनके ससुर व पिता चतरा पुत्र पन्नालाल जो कि एक अनपढ काश्तकार था, उसे गुमराह कर विधि विरूद्ध तरीके से परिवार के सदस्यो को भी गुमराह करके प्रतिवादी नम्बर–1 के पिता फूंदीलाल व प्रतिवादीगण नम्बर–2 व 3 आपस में मिलीभगत करके उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर–179 की 8 बीघा भूमि ग्राम रंगतालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा का उनके द्वारा विक्रय–पत्र का पंजीयन करवा लिया एवम तत्पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रतिवादी नम्बर–4 से मिलीभगत करके अपने नाम इन्तकाल खुलवा लिया, उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादीगण नम्बर–1 लगायत–3 के खाते में दर्ज है।

वादीगण का वाद में कथन है कि वादीगण चतरा के वारिसान होने से उपरोक्त आराजी के मालिक है, दिनांक 13.05.1982 का विक्रय राजस्थान कश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है, एवं ऐसा विक्रय शून्य विक्रय है।

वादीगण का वाद में कथन है कि उपरोक्त कारणो से वादीगण उक्त आराजी के खातेदार टीनेन्ट घोषित कराने के अधिकारी है तथा उक्त आराजी का वापस प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 से कब्जा प्राप्त करने के तथा प्रतिवादीगण का राजस्व रिकॉर्ड से नाम हटाकर वादीगण अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद में वर्णित तथ्यो से इन्कार करते हुऐ जाहिर किया कि बैचानकर्ता चतरा पुत्र पन्ना जाति से लश्करी थे। वादीगण भी जाति से लश्करी है। ये व्यक्ति जाति से लश्करी है, लश्करी जाति राजस्थान में अनुसूचित जाति में नही आती है। ऐसी स्थिति में चतरा द्वारा क्रेतागण फून्दीलाल, एवम प्रतिवादी नम्बर–2 व 3 बिरधीलाल एवम गोपाल के पक्ष में किया गया बैचान विधिसम्मत एवम कानून के अनुसार वैध है,

दावा वदीगण अवधि मध्य होना स्वीकार नही है। वादीगण के पिता ने उपरोक्त भूमि प्रतिवादी नम्बर–1 के पिता फून्दीलाल एवम प्रतिवादी नम्बर–2 व 3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 13.05.1982 को अपने खाते की भूमि विक्रय की है। राजस्व रिकॉर्ड में भी विक्रेता की जाति लश्करी दर्ज थी। विक्रेता ने विक्रय राशि लेकर क्रेतागण को विक्रय की गई आराजी का कब्जा संभलाया है और क्रेतागण विवादित भूमि पर वर्तमान तक रिकॉर्डेड खातेदार के रूप में मुतावातिर रूप से वैध

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

विक्रय–पत्र के आधार पर काबिज काश्त है, अतः वादीगण का यह दावा सव्यय खारिज फरमाया जावे। हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी बाबत हुआ बयनामा दिनांक 13.05.1982 एक वैध बयनामा है। उक्त बयनामा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 की परिधि में नही है। फलतः वाद–पत्र वादीगण उक्त कारण से सव्यय खारिज होने योग्य है।

प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 3 निम्न आधारो पर आदेश–7 नियम–11 एवम धारा–151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निम्न आधारो पर यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते है कि–

(अ)– वादीगण को यह दावा प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। वादीगण ने दिखावटी एवम काल्पनिक वाद कारण पर यह दावा प्रस्तुत किया है, अतः वाद कारण के अभाव में दावा वादीगण नामंजूर किये जाने योग्य है।

(ब)– विक्रेता चतरा ने ग्राम रंगतालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर–179 की 8 बीघा भूमि दिनांक 13.05.1982 को क्रेतागण है। उक्त विक्रय–पत्र पर विक्रेता के साथ–साथ उसके पुत्रो भंवरलाल पूरणमल एवम लक्ष्मीनारायण ने पढकर, समझकर स्वेच्छा एवम सहमति से अपने–अपने हस्ताक्षर किये है, अतः विक्रेता चतरा एवम वादीगण को वक्त बैचान से ही प्रतिवादी नम्बर–1 प्रभूलाल के पिता फून्दीलाल एवम प्रतिवादी नम्बर–2 व 3 क्रमशः बिरधीलाल एवम गोपाल को उपरोक्त भूमि को बैचान करने की एवम भूमि पर कब्जा संभलाने की जानकारी थी। विक्रेता चतरा ने अपने जीवनकाल में बावजूद जानकारी के हक घोषणा खातेदारी एवम कब्जा प्राप्ति हेतु कोई दावा प्रस्तुत नही किया तथा वादीगण ने सर्वथा गलत, झूठे तथ्यो के आधार पर बैचान के 35 वर्षों पश्चात दावा प्रस्तुत किया है, अतः यह दावा बैरून मियाद (टाईम बार्ड) प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने योग्य है।

(स) विक्रेता चतरा एवम वादीगण के वाद विषयक भूमि को बैचान कर देने से, कब्जा प्राप्त करने की मियाद समाप्त हो जाने से उनके समस्त हक हकुक समाप्त (Extinguish) हो गये है, अतः वादीगण को यह दावा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार (Locus standi) नहीं है, अतः इस आधार पर भी दावा वादीगण नामन्जूर किये जाने योग्य है।

(द) वादीगण ने प्रतिवादीगण को परेशान करने के उद्देश्य से सर्वथा गलत, झूठे एवम तुच्छ आधारो पर (frivolous and vexatious) रूप से यह दावा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

किया है, अतः दावा वादीगण नामंजूर किये जाने योग्य है। शेष आपत्तियां वक्त समाअत बहस मौखिक रूप से निवेदन की जावेगी।

प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 03 द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 जा0 दी0 का जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है:–

प्रारम्भिक आपत्तियाँ :–

1. उपरोक्त पत्रावली प्रतिवादीगण की साक्ष्य में दिनांक 22/12/2025 नियत थी लेकिन प्रतिवादीगण ने दिनांक 22/12/2025 को अपनी साक्ष्य ना करा कर प्रकरण को डिले करने की मंशा से यह आवेदन पेश किया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी उपरोक्त प्रकरण का निस्तारण नही होने देना चाहते और इसी आशय से यह आवेदन पेश किया है।

2. उपरोक्त वाद पत्र वर्ष 2016 से माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा भी पेश किया जा चुका है। तथा जवाब दावे में सारी आपत्तियाँ ली जा चुकी है और ऐसी आपत्तियों दोनों पक्षों की साक्ष्य लेने के उपरान्त तय कि जावेगी तथा उपरोक्त आवेदन लगभग 09 वर्ष बाद प्रकरण को डिले करने की मंशा से पेश किया है।

3. प्रतिवादीगण का यह आशय है कि प्रकरण माननीय न्यायालय से निस्तारित ना हो इसी आशय से यह आवेदन पेश किया है।

प्रार्थना पत्र का चरण क्रम 07 का ए पूर्णरुपेण अस्वीकार है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में वाद कारण उत्पन्न होने का कथन किया है तथा वादीगण को उपरोक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण उत्पन्न हुआ है और इसी आधार पर वादी ने अपना वाद पत्र पेश किया है तथा 09 वर्ष के उपरान्त प्रतिवादीगण ने यह झूठे तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है।

8. प्रार्थना पत्र का चरण क्रम 07 का ब पूर्णरुपेण अस्वीकार है। प्रतिवादीगण ने जो सम्पत्ति/कृषि आराजीयात अपने नाम दर्ज करवाई है वह धारा – 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के विपरित जाकर तथा फर्जीवाड़ा करके करवाया है। तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ऐसा बेचान अवैध्य तथा विधि–विरुद्ध है। तथा जहाँ तक मियाद का विषय है उसके सम्बन्ध में नियेदन है कि मियाद का बिन्दू एक मिश्रित बिन्दू है जो दोनों पक्षों कि साक्ष्य लेने के उपरान्त निर्णित किया जावेगा। इसलिये प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है तथा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को.

निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण कम –01 लगायत 03 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 07 आदेश 11 एवं धारा 151 जा०दी० सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी आदेश 7 नियम 11 की ओर निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये जो निम्नानुसार है:–

2016 DNJ (SC) 644
SUPREME COURT OF INDIA - 2016 DNJ (SC) 644

R.K. Roja..... Appellant

Versus

U.S. Rayudu & Anr..... Respondents

(A) Civil Procedure Code, 1908-0. 7, R. 11-Application filed to reject the election petition-Court posted the petition alongwith the election petition and further denied opportunity to file written statement-High Court held that the appellant did not file the application at the earliest opportunity and ordered that the application shall be decided at the time of final hearing-Application u/O. 7, R. 11 can be filed at any stage-Only restriction is that the plaint should not be rejected on the basis of allegations made in written statement-Plaint has to be consider only as a whole-Procedure adopted by the Court is not warranted under law and the Court cannot proceed with the trial-Order set aside. [Paras 5, 9]

(B) Civil Procedure Code, 1908-0. 7, R. 11-Rejection of plaint-Application should be disposed of before proceeding with the trial Defendant is entitled to file the application before filing his written statement. [Para 6]

(C)Civil Procedure Code, 1908-0. 7, R. 11-Application to reject the election petition-High Court observed that the purpose of filing petition is to delay the trial-Such finding cannot be brushed aside-Application does not come within the purview of any category provided u/O. 7, R. 11(a) to (f) of the C.P.C.-Held, Application is liable to be rejected.

Important point- *An application under Order vii rule 11 of the c.p.c. can be filed at any state.*

RRD 1988 Page No. 577

Jeewan Khan V. State of Raj.-(208)

(a) Raj. Tenancy Act, Section 175 read with Sl No. 66 of III Schedule-Amendment effective from 23-4-71 raising the period of limitation from 3 to 12 yrs. and again to 30 yrs with effect from 4-9-81-A suit which had already become barred by limitation before the commencement of the amendment could not be revived thereby-1956 RRD 289,1982 RRD 163, AIR 1962 Raj. 43 (Para 12) and ILR 1964 (14) Raj 282, referred. (Para 4)

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

2006(1) RRT 383 (SUPREME COURT)

Nathu Ram (Dead) by LRs. & Ors. vs. State of Rajasthan & Ors

Rajasthan Tenancy Act, 1955-Secs. 175, 42(b), 214 & Schedule III, Clause 66 (As stood prior to amendment)-Suit for ejectment & possession of land-Land of members of Schedule Caste-Transfer of land in favour of per-sons of higher caste-Period of limitation for ejectment & possession was 12 years before amendment-Land transferred on 2.4.1964 & 4.5.1964-Applica-tion filed u/Sec. 175 (4-A) on 22.11.1976-Held, Application was barred by limitation.

Imp. Point- *Period of limitation is 12 years to challenge the illegal transfer of land made before amendment.*

2014(2) RRT 1379 SUPREME COURT

Karan (Dead) Thr. LRs. & Ors. *Versus* State of Rajasthan & Ors. Decided on 30th June, 2014

Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 42 proviso & 175-Transfer of SC/ST-Sale deed executed on 12.1.1962 & mutation attested on 1963-Tehsildar filed an application for ejectment after 31 years of Vendee are in possession of the land prior to 12.1.1962 & cultivating the land-BOR allowed the reference filed u/Sec. 82-Suit filed after expiry flimitation & rightly dismissed by the Addl. Collector-Held, Judgment passed by the High Courts are set aside.

1998 DNJ [Raj.] 767

RAJASTHAN HIGH COURT

State of Rajasthan & Ors. *Versus* Smt. Usha Sahini & Anr..

Limitation Act, 1976-Secs. 3 & 5-In every suit, appear and petition if limitation is prescribed then the question of limitation is to be considered first even if the dispute is not raised-In-the present cases the application u/s. 5 for condonation delay was not disposed and the case was finally decided-The impugned order is set aside and case sent back for decision of the condonation of delay.

1984 RRD page no 380

State of Raj. V/s Manak Chand

(b) Raj. Tenancy Act, Secs. 175 & 42 (b)-Application u/s 175, filed by Teh. before S.D.O. for ejectment of transferees and resumption of land to State where transferor by caste 'lashkari' sold land to non-members of S.C. and so sale was violative of Sec. 42-Held, in list of S.C. four Raj. caste lashkari not, mentioned and as such Sec.

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

42, not violated-S.D.O. erred in ordering resumption of land by State R.A.A. rightly held that there was no sale of land by a member of S.C. to non-members. (Para 5)

RBJ 2019 698 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955- धारा 183- इस धारा के तहत दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा 12 वर्ष हैं, 12 वर्ष बाद दायर किया हुआ वाद चलने योग्य नहीं हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-183 के लिये मियाद की अवधि अनुसूची-3 में दी गयी है। जिसके अनुसार मियाद की अवधि 12 वर्ष है। मौखिक साक्ष्यों के द्वारा यह भली-भांति सिद्ध हो चुका है कि प्रतिवादी का निर्णय 40-45 वर्ष पूर्व हो चुका था। इस प्रकार यह अवधि 12 वर्षों की अवधि से अधिक है। अतः 12 वर्षों के पश्चात धारा-183 के तहतं दावा चलने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण भी चलने योग्य नहीं होने के कारण काबिल खारिजी है। दिनांक 17-09-2019

2006(2) RRT 1318 (HIGH COURT)

Kamla Bai & Ors. vs. Smt. Bardi & Ors.

Rajasthan Tenancy Act, 1955-Secs. 53 & 212-Code of Civil Proce dure, 1908-Sec. 96-Hindu Succession Act, 1956-Sec. 23-Suit for partition & permanent injunction-Plaintiffs are daughters & defendant No. 1 & 2 are wife & son of deceased 'B'-Self acquired property of 'BL-No joint possession over Guwadi-1/4 share of plaintiffs in property-Allegation of selling Guwadi to 'M' in 1982-Defendants are in possession of Guwadi since 1982-No share of wife 'B' in property under Hindu Succession Act-'B' was not competent to transfer the Guwadi being not legally wedded wife-Sale deed was unregis tered therefore do not create any right in favour of defendant No. 3 to defen dant No. 7 but could be seen for collatral purposes-Defendants can claint their possession on the basis of adverse possession & than possession was in knowledge of plaintiffs & suit was filed after 12 years-Held suit for Guwadi rightly held to be time barred & in other property plaintiffs have 1/4 share.

imp. Point- Suit filed for possession after expire of 12 years of barred by limitation

RBJ 2019 (1) RRT 281 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

Sonu & Ors. VS. Balwant Singh & Ors.'

Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 183-B-Eviction of tresspasser from the land of person of Scheduled Caste-Tehsildar allowed the application but the Additional Collector set aside the order-Heirs of 'R' sold the land to non-petitioners in the year 1973 & since then they are in possession of the land and they cannot be treated as tresspasser-Earlier filed application u/Sec. 183-B also dismissed-Suit u/Sec. 175 is also pending-Held, No illegality in the order impugned.

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

2025(1) RRT 245
BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER
Hemaram & Ors. VS. Gangaram & Ors.

Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sections 88, 91 and 188-Suit for declaration and permanent injunction was decreed-Appeal dismissed-Plaintiff purchased the land by registered sale deed from Ramchandra and Ram Pyari-Respondents were not made party in suit No. 57/73 though they purchased the land in the year 1967 by registered sale deed-Ramchandra was having no right or title to give his consent for decree in suit No. 57/73-Decree obtained by the appellants in case No. 57/73 is suspicious and ineffective qua the respondents-Respondents are the recorded khatedar-Registered sale deed not cancelled by any Civil Court-Held, Appeal is devoid of substance and dismissed.

AIR 1990 SUPREME COURT 991
Srish kumar choudhury Veresus State of Tripura & Ors.

Constitution of India, Arts. 342, 366 (25) Laskar Community Of Tripura – Not Scheduled Tribes- Presidential Order – It is final – Court cannot add or substruact any entry – Its enquiry is confined to interpret what an entry means.

AIR 1977 SUPREME COURT 2421
T. Arivandandam, V/S. T. V. Satyapal and another,

Civil P. C. (5 of 1908), Sec. 35A, O. 7, R. 11- Rejection of plaint False or vexatious claims court and counsel. Duty of Court and counsel.

If on a meaningful - not formal reading of the plaint it is manifestly vexatious, and meritless, in the sense of not disclosing a clear right to sue, the trial Court should exercise power under O. 7. R. 11, C. P. C. taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. its The trial Courts should insist imperative-de ly on examining the party at the first hearing so that bogus litigation can be shot down at the earliest stage. The Penal Code is also sourceful enough to meet such men, re-by (Ch. XI) and must be triggered against them.

If the trial Court is satisfied that the litigation was inspired by vexatious motives and altogether groundless . it should take deterrent only under S. 35A.

2023(3) DNJ (SC) 751] SUPREME COURT OF INDIA
Ramisetty Venkatanna & Anr. Versus Nasyam Jamal Saheb & Ors...

Civil Procedure Code, 1908-0. 7, R. 11(a) & (d)-Application dismissed and refused to reject the plaint-Order confirmed by the High Court-Two sons of Kareembee

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

sold the 58 cents land of survey No. 706/A9 to the appellants by two registered sale, deed and delivered the possession-Third son of Kareembee filed the suit for partition and separate possession-Matter settled in Lok Adalat and the appellants paid 14 lakhs to the plaintiff (third son)-Respondent Nos. 1 to 8 filed the suit for declaration of the title and permanent injunction and also declaring the sale deed to be null and void-Plaintiffs averred that the vendors of appellants had no any right to sell the land of survey No. 706/A9 but not claimed any relief deliberately regarding the partition deed dt. 11.3.1953-Plaint was liable to be rejected being vexatious and illusory cause of action and barred by limitation-Held, Orders are set aside and plaint is rejected.

RAJASTHAN HIGH COURT [JAIPUR BENCH]

Annant Pal Singh Rajput.. Versus Sumer Singh Rajput & Anr.

(A) Civil Procedure Code, 1908-0. 7, R. 11; Sec. 151-Application to reject the plaint was dismissed-Suit for partition and injunction filed on the basis of adoption In another suit, the plaintiff did not press the issue of adoption and in other case he withdraw the suit filed to declare him as an adopted son of 'HS'-Plaintiff cannot go beyond the admission and no further adjudication is required-Frivolous and, fictitious plea of adoption-Held, Suit is liable to be rejected even u/s. 151 C.P.C. [Paras 12, 13, 15, 16)

(B) Civil Procedure Code, 1908-0. 7, R. 11; Sec. 151-Rejection of plaint-Even if the plaint is not strictly covered u/O. 7, R. 11, the same can be rejected u/s. 151 C.P.C.-Frivolous and vexatious suit ought to be nipped in the bud at the earliest. [Para 15]

वादीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये जो निम्नानुसा है:-

1. Citation : 2017(1) DNJ [Raj.] 136
RAJASTHAN HIGH COURT
Ram Pratap *Versus* State of Rajasthan thro'Disst. Collector Hanumangarh &Ors..

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 7 नियम 11 वादपत्र को खारिज करना–प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया–निगरानी खारिज की–केवल वादपत्र मे किये प्रकथनों को न्यायालय को देखना है–वादपत्र में किये प्रकथनों से यह नही कहा जा कसता कि वादकारण प्रकट नही होता–परिसीमा का प्रश्न विधि व तथ्य का प्रश्न है तथा साक्ष्य लेखबद्ध करने के बाद निर्णीत किया जा सकता है– निर्णीत, आदेश मे अवैधता या त्रुटि नही है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

2. Citation : 2013(4) DNJ [Raj.] 1775

RAJASTHAN HIGH COURT

Foss Analytical &Ors... *Versus* Rajasthan Electronics & Instruments Ltd. & Anr.....

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 7 नियम 11 वादपत्र को खारिज करना–प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया–निगरानी–प्रश्नगत करार के खण्ड 34 के दृष्टिगत न क्षेत्राधिकारिता का अभाव होने का अभिवाक्–क्षेत्राधिकारिता का प्रश्न कानून व तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जो कि प्रारम्भित तनकी के रूप मे अथवा विचारण के दौरान निर्णीत किया जासकता था– इस स्तर पर केवल वादपत्र मे किये गये प्रकथनों पर विचार किया जा सकता है– निर्णीत, आलोच्य आदेश मे अवैधता या शिथिलता नहीं है।

3. 2022(2) RRT 1085

RAJASTHAN HIGH COURT

Mahaveer Prasad &Ors... *Versus* Sitaram &Ors...

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 88 व 188 विक्रय पत्र को अप्रभावी व शून्य घोषित करने हेतु वाद राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय व डिक्री अपास्त किया तथा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया–प्रतिवादीगण सं0 6, 7, 8 को तलब नही किया–प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर नही किया–निर्णीत, रिमाण्ड के आदेश मे अवैधता नही है।

4. Citation : 2018(2) DNJ [Raj.] 676

RAJASTHAN HIGH COURT

Karan singh Chouhan & Ors... *Versus* Manu bal sikshan Sansthan, Soorsagar Jodhpur

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 7 नियम 11 वादपत्र को खारिज करना– प्रार्थना पत्र खारिज किया– स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद–तर्क की वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 से एवं राजस्थान सहकारी समितियों की धारा 58 व 117 से बाधित है– प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि है– राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 92 ए के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय के समक्ष वाद पोषणीय है– निर्णित प्रार्थना पत्र खारिज करने मे विचारण न्यायालय न्यायसंगत नही था तथा विधि द्वारा बाधित होने से वाद पत्र खारिज किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया है कि विक्रय पत्र सन 1982 मे निष्पादित हुआ तथा दावा सन 2016 मे प्रस्तुत किया गया है। विक्रय पत्र पर गवाह के रूप मे तीनों पुत्रों के हस्ताक्षर है जो प्रस्तुत वाद मे वादी के रूप मे उपस्थित हुये है। इससे यह प्रमाणित होता है कि तीनों पुत्रों को पहले दिन से ही भूमि के विक्रय के संबंध मे पूर्ण जानकारी थी।

उपखण्ड अधिकारी
को.

अभिभाषक द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि पीड़ब्ल्यू 1 मे पूरणमल द्वारा 1982 से ही मेरा कब्जा स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार पीड़ब्ल्यू लक्ष्मीनारायण द्वारा जाति तथा मेरा कब्जे के संबंध मे तथ्य स्वीकार किये गये है।

अभिभाषक प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि ऐसी जाति की अधिसुचित सूची मे लश्करी मेघवंशी नामक कोई जाति नही है। इस कारण वादियों का सम्पूर्ण वाद गलत तथ्यों पर आधारित है।

अभिभाषक प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मे वाद कारण वर्णित नही किया गया है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि बनावटी व काल्पनिक वाद कारण के आधार पर प्रस्तुत वाद प्रारम्भ स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य होते है।

अभिभाषक प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रतिवादीगण का कब्जा सन् 1982 से है। जिसे वादीगण द्वारा भी स्वीकार किया गया है। वाद सन् 2016 मे प्रस्तुत हुआ है। इस प्रकार कब्जा लेने की सीमा जो 12 वर्ष है, समाप्त हो चुकी है।

अभिभाषक प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि खातेदार चतरा ने भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान की थी। जिसमे वादी गवाह है। अतः वादी वाद पेश नही कर सकते है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी प्रार्थना पत्र का कथन है कि वादीगण अनुसुचित जाति के सदस्य है तथा क्रेता स्वर्ण जाति का सदस्य है अतः यह विक्रय राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 42 से प्रभावित होने के कारण क्रेता गण को हस्तगत आराजी मे कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वादीगण गरीब व कमजोर तबके के व्यक्ति है। जिन्हे राजस्व रिकोर्ड की जानकारी ही नही थी। अतः जानकारी प्राप्त होते ही वाद प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का यह भी कथन है कि धारा 42 से प्रभावित होने के कारण उक्त विक्रय प्रारम्भ से ही शुन्य है तथा उन्हे विक्रय पत्र को निरस्त करवाने की कोई आवश्यकता नही है क्योकि हस्तगत विक्रय धारा 42 से प्रभावित है। अतः प्रश्नगत आराजी वादीगण के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत वादपत्र मे वाद कारण का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मियाद के बिन्दु पर तनकी बनाकर ही निर्णय किया जा सकता है। अतः मियाद के आधार पर वाद निरस्त नही किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
को.

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

अभिभाषक वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि हस्तगत प्रकरण मे राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। वादीगण अनुसुचित जाति के है। जबकि प्रतिवादीगण माली जाति के है। अतः बेचान से प्रतिवादीगण के पक्ष मे कोई हक उत्पन्न नही होता है।

अभिभाषक वादी द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि हस्तगत प्रकरण धारा 88 के तहत अधिकार घोषणा का है। प्रस्तुत प्रकरण मे कब्जे बाबत् कोई प्रश्न निहित नही है। अतः हस्तगत प्रकरण पर कोई समय सीमा लागू नही होती है।

अभिभाषक वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि हमने वादीगण के जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है। जो प्रमाणित करते है कि वादीगण अनुसुचित जाति के है। राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 42 के तहत हस्तगत विक्रय प्रारम्भ से ही शुन्य है। तथा उक्त विक्रय के आधार पर प्रतिवादीगण को कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है। वादीगण का हक व अधिकार तनकी बनाकर बाद शहादत ही निर्धारित होगा। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया। तथा बहस उभयपक्ष पर गम्भीरतपूर्वक मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया।

हमने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 7 नियम 11 (Order 7 Rule 11) से भी ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 वादपत्र (Plaint) अस्वीकार करने के मुख्य आधार (Order 7 Rule 11) निम्न प्रकार है:–

(अ) **कार्रवाई के कारण का अभाव (No Cause of Action):-** यदि वादपत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि केस क्यों दायर किया गया है।

(बी) **कम मूल्यांकन (Undervaluation):–** यदि दावे की वस्तु का मूल्य कम बताया गया है और समय देने के बाद भी ठीक नहीं किया गया।

(सी) **अपर्याप्त कोर्ट फीस (Insufficient Court Fee):–** यदि स्टाम्प पेपर या फीस कम है और कोर्ट द्वारा दिए गए समय में जमा नहीं की गई।

(डी) **कानून द्वारा वर्जित (Barred by Law):–** यदि मुकदमा किसी कानून के तहत वर्जित है (जैसे समय सीमा / Limitation के बाहर होना)।

(ई) **दो प्रतियों में न होना:–** यदि वादपत्र एक से अधिक प्रति (duplicate) में दाखिल नहीं किया गया है।

(एफ) **अन्य नियमों का पालन न करना:–** यदि वादी आदेश 7 के अन्य नियमों का पालन करने में विफल रहता है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि हस्तगत आराजी भू प्रबंध से पूर्व चतरा पुत्र पन्ना की खातेदारी मे दर्ज थी। चतरा द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उक्त भूमि का बेचान दिनांक 13.05.1982 को किया गया।

साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा सेटलमेंट का पर्चा लगान भी प्रस्तुत किया गया है जिसमे भी खातेदार चतरा आत्मज पन्ना की जाति लश्करी ही अंकित है।

वादी लक्ष्मीनारायण ने दौराने जिरह खुद स्वीकार किया है कि "यह सही है कि राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त भूमि के संबंध मे चतरा जी की जाति लश्करी दर्ज है।" साथ ही वादी लक्ष्मीनारायण द्वारा दौराने जिरह यह भी स्वीकार किया है कि– "यह बात सही है कि पिछले 42 साल से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है।

इसी प्रकार पत्रावली मे संलग्न प्रदर्श डी–1 पर्चा चकबंदी सेटलमेंट संवत् 2016–2024 मे भी खातेदार का विवरण–"चतरा वल्द पन्ना कौम लश्करी साकिन सोगरीया अंकित है।"

पत्रावली मे संलग्न प्रदर्श पी 1 नकल नामान्तकरण ग्राम रंगतालाब नम्बर 249 मे आईएलआर द्वारा दिनांक 20.02.1983 को स्पष्ट अंकन किया गया है कि – "मुताबिक आदेश क्रमांक 25/77 दिनांक 25.09.1977 के श्रीमान एडीएम साहब कोटा के लश्करी जाति अ.जा. व अजजा मे नही आती है।" आईएलआर की उक्त टिप्पणी उपरांत तहसीलदार लाडपुरा द्वारा उक्त नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। जो यह प्रमाणित करता है कि मूल विक्रेता चतरा वल्द पन्ना की जाति के संबंध मे निस्तारण स्वीकृत नामान्तकरण मे ही हो गया था। इसी नामान्तकरण मे खातेदार के नाम मे यह स्पष्टतया अंकित है कि सेटलमेंट जमाबंदी मे प्रार्थी की जाति केवल लश्करी है।

संलग्न विक्रय पत्र दिनांक 13.05.1982 के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि विक्रेता चतरा पुत्र पन्ना की जाति विक्रय पत्र मे लश्करी अंकित है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जो यह प्रमाणित करता हो कि विक्रेता चतरा की जाति लश्करी नही थी। इसके बिपरित वादी लक्ष्मीनारायण द्वारा दौराने जिरह स्वयं स्वीकार किया गया है कि राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त भूमि के संबंध मे चतरा जी की जाति लश्करी अंकित है। राज्य सरकार द्वारा अधिसुचित अनुसूचित जाति की सुची मे लश्करी जाति अनुसूचित जाति मे नही है। अतः हमारे विनम्र मत मे वादीगण यह प्रमाणित करने मे असफल रहे है कि उक्त विक्रय धारा 42 से प्रभावित हो।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का कथन है कि यदि धारा 42(बी) का उल्लंघन हुआ है तो यह तहसीलदार व क्रेता के मध्य का बिन्दु है तथा तहसीलदार उक्त प्रकरण मे कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। लेकिन

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(7) के तहत बेचान कर देने के कारण तथा धारा 63(4) के तहत सन् 1982 मे ही कब्जा स्थानान्तरित कर देने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। तथा वादीगण को प्रतिवादी के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है।

साथ ही वादीगण द्वारा अपने वादपत्र मे यह कथन किया गया है कि चतरा पुत्र पन्ना अशिक्षित व्यक्ति था जिसकी अज्ञानता का फायदा उठाकर राजस्व कर्मचारियो के साथ मिलिभगत करते हुये क्रेतागण द्वारा दौराने सेटलमेंट हस्तगत आराजी को अपने नाम दर्ज करवा लिया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि हस्तगत आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र गोपाल, फूंदीलाल व बिरधीलाल के नाम दर्ज हुई थी। उक्त स्थिति मे विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह कथन प्रमाणित होता है कि वादीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुये है। तथा उनके द्वारा तथ्यों को जानबुझकर छिपाया गया है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि सन् 1982 से आज तक क्रेतागण ही हस्तगत आराजी पर काबिज काश्त है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली मे प्रस्तुत नही किया गया है जो खातेदार के उक्त दावे का खंडन कर सके। साथ ही वादीगण द्वारा इस तथ्य का भी कोई युक्ति पूर्ण उत्तर नही दिया गया है कि सन् 1982 के पश्चात वर्तमान मे दावा क्यो प्रस्तुत किया गया है। क्योकि वादीगण को उक्त विक्रय पत्र दिनांक 13.05.1982 की जानकारी विक्रय के प्रथम दिवस से ही थी। विक्रय पत्र पर चतरा के तीनों पुत्रों भंवरलाल, लक्ष्मीनारायण व पूरणमल के हस्ताक्षर है। यहां विद्वान अभिभाषक का यह कथन भी प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय मे उपस्थित नही हुये है। विक्रय पत्र की जानकारी विक्रय के प्रथम दिवस से ही होने के उपरांत भी वादीगण द्वारा उक्त तथ्यों को वादपत्र मे पूर्णतयाः छुपाया गया है।

उक्त परिस्थितियों मे जबकि पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों से यह प्रमाणित है कि वादीगण द्वारा तथ्यों को छिपाते हुये वादप्रस्तुत किया गया है, वादीगण यह प्रमाणित करने मे असफल है कि हस्तगत बेचान धारा 42 से प्रभावित है, वादीगण यह प्रमाणित करने मे असफल रहे है कि सन् 1982 के पश्चात आज वाद प्रस्तुत करने का कोई वाजिब कारण उत्पन्न हुआ हो, लिमिटेशन एक्ट तथा धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियन मे वर्णित मियाद समाप्त होने के परिणामस्वरूप वादीगण का कोई खातेदारी अधिकार बनता हो तथा वादीगण हस्तगत आराजी पर किसी भी प्रकार काबिज काश्त हो, हमारे विनम्र मत मे वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

उक्त विवेचन के आधार पर हम प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

अतः प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 183, 92 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

डिक्री परचा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(यशेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, कोटा
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा